

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

साँची मिल्क पॉलर षष्ट्म
एजेन्ट नियुक्ति हेतु
आवेदन प्रपत्र

शुद्धता का संकल्प



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड डेयरी प्लांट, उज्जैन-456001
दूरभाष – 2527061,2527068,2527066



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456001 (म.प्र.)
दूरभाष – 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063
E-mail :- udsmktg7@gmail.com

**साँची मिल्क पॉर्लर संचालन हेतु एजेन्ट नियुक्ति
के लिये षष्टम आवेदन आमंत्रण सूचना**

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा नीमच तथा शाजापुर जिलो में साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु साँची मिल्क पॉर्लर के संचालन के लिये इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पॉर्लर संचालन हेतु पॉर्लर स्थल तथा आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जिला	तहसील	पॉर्लर स्थान	अ.जा.	अजजा	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	शाजापुर	शाजापुर	ओमकारेश्वर मंदिर के पास, शाजापुर 8X8 स्के.फीट	-	3	3

इच्छुक आवेदक साँची पॉर्लर एजेंट नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र www.sanchidairy.com से डाउनलोड कर या उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय से कार्यालयीन समय में राशि रु. 200/- आरटीजीएस/नेफ्ट या ऑनलाईन माध्यम से जमा कर क्रय कर सकते हैं :-

आवेदन क्रय करने की प्रारंभ तिथि	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	आवेदन जमा करने का स्थल	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली EME राशि
10/11/2022	17/11/2022	उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन	10,000.00

निर्धारित दिनांक 17/11/2022 को दोपहर 03:00 बजे प्राप्त आवेदनों की तकनीकी आर्हताओं का परीक्षण समिति सदस्यों तथा उपस्थित आवेदनकर्ताओं के समक्ष किया जावेगा। तालिका अनुसार आरक्षित वर्ग के आवेदन प्राप्त नहीं होने पर सामान्य वर्ग के आवेदकों में से एजेंट का चयन किया जावेगा, अन्य जानकारी के लिए www.sanchidairy.com पर लॉग-ऑन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
आवेदन प्रक्रिया एवं प्रपत्रों की जानकारी**

1	आवेदन प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 10/11/2022 प्रातः 11:00 बजे
2	आवेदन प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 17/11/2022 प्रातः 11:00 बजे तक
3	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 17/11/2022 दोपहर 12:00 बजे तक
3	आवेदन खोलने तथा लॉट्री ड्रॉ की तिथि एवं समय	दिनांक 17/11/2022 अपरान्ह 03:00 बजे तक
4	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	10,000=00 (दस हजार मात्र) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से देय हो।
5	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	रूपये 200/- (दो सौ मात्र)
6	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
7	साँची मिल्क पॉर्लर हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्तों का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
8	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र - 03
9	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 04

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 "तकनीकी अर्हताएं" प्रपत्र क्रमांक 02 "सामान्य शर्त प्रपत्र क्रमांक 3 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 4 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक "बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर जिला.....क्षेत्र..... पॉर्लर स्थान..... हेतु "साँची मिल्क पॉर्लर हेतु आवेदन" लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जावे।
- आवेदन में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं बिना ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र - 01, 02, एवं 03 तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

तकनीकी अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता का नाम		आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
2	आवेदनकर्ता विकलांग होने पर विकलांगता का प्रमाण पत्र।		प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
3	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
4	फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड/ लायसेन्स/वोटर कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है। (कोई एक प्रमाण पत्र)		छायाप्रति संलग्न करें।
5	शैक्षणिक योग्यता के रूप में अंकसूची (न्यूनतम कक्षा 12 वी उत्तीर्ण हो)		अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें।
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग		जाति प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें।
7	ई.एम.डी. राशि रु. 10,000/-		मूल डी.डी. संलग्न करें।
8	आवेदन पत्र के मूल्य रु. 200/- का डी.डी. (यदि आवेदन वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो) अथवा दुग्ध संघ द्वारा जारी मूल एम.आर.		मूल एम.आर./डी.डी. संलग्न करें।
9	आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ/अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत का वचन पत्र, Self Declaration)		वचन पत्र, Self Declaration संलग्न करें।
10	आवेदनकर्ता दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता /परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत का वचन पत्र, Self Declaration)		वचन पत्र, Self Declaration की प्रति संलग्न करें।

नोट:-

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता की पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर

साँची मिल्क पॉलर को निरस्त कर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायीक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

दूरभाष नम्बर -----

मोबाईल नम्बर -----



साँची मिल्क पॉलर आवंटन हेतु आवश्यक शर्तें

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रुपये 10,000/- (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) डी.डी. आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. किसी भी अथवा समस्त आवेदन को कारण सहित बताते हुए निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
4. आवेदक को पार्लर/बूथ आवंटन होने के पश्चात एक माह की अवधि में एफएसएसएआई लायसेंस/रजिस्ट्रेशन एवं जीएसटी की प्रति दुग्ध संघ में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
5. चयन उपरांत पार्लर एजेंट द्वारा किसी भी परिस्थिति में पार्लर/बूथ किसी को अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया जा सकेगा।
6. एजेंट द्वारा पार्लर/बूथ में बीडी, गुटखा,पान, तंबाकू, मदिरा आदि प्रतिबंधित सामग्री अथवा साची दूध एवं दुग्ध पदार्थों के प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड (जैसे सौरभ, अमुल, इत्यादि) या खुला दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो आवंटन बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जाएगा।
7. आवेदक को तकनीकी अर्हता पूर्ण होने पर ही लॉटरी ड्रॉ में सम्मिलित किया जावेगा। यदि किसी स्थान के लिए एक ही पात्र आवेदन प्राप्त होता है तो उसको चयनित किया जाएगा। एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर चयन लॉटरी द्वारा किया जावेगा।
8. समस्त शहरी-ग्रामीण, बूथ आवंटन हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को राज्य सरकार के प्रावधान अनुसार आरक्षण लाभ दिया जायेगा।
9. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र भी स्वयं के द्वारा प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप संलग्न करनी होगी अन्यथा आवेदक के आवेदन को सामान्य वर्ग का आवेदन मान्य किया जायेगा।
10. यदि किसी आरक्षित वर्ग विशेष का कोई आवेदन पार्लर/बूथ आवंटन हेतु प्राप्त नहीं होता है तो सामान्य श्रेणी के आवेदकों में से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पार्लर/बूथ आवंटन किया जा सकेगा यद्यपि ऐसी स्थिति में संबंधित आरक्षित वर्ग का निर्धारित कोटा आगामी प्रक्रिया के लिये आगे बढ़ाया जायेगा।

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा एवं परित्यक्ता वर्ग के आवेदकों को चयन उपरांत निर्धारित प्रतिभूति राशि में 50 प्रति. की छूट मान्य की जायेगी परंतु किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदक को साँची पार्लर/बूथ आवंटन की स्थिति में दुग्ध द्वारा संघ दुग्ध घी एवं उत्पादों पर निर्धारित मार्जिन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।
12. लाटरी द्वारा इस चयन प्रक्रिया में यदि किसी आवेदको का आरक्षण उपलब्ध संख्या में चयन नहीं हो पाता है तो सूची के उतनी संख्या के अंतिम क्रम के पार्लर/बूथ को उस वर्ग के आवेदकों को आवंटित किया जायेगा। यदि एक ही वर्ग के लिये आरक्षण नीति अनुसार उपलब्ध पार्लर संख्या से अधिक की संख्या में पात्र आवेदन प्राप्त होते हैं, तो चयन लाटरी द्वारा किया जाएगा। यदि एक ही पात्र आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसे आवेदक को एजेंट नियुक्त किया जा सकेगा।
13. इस प्रकार जिस भी वर्ग के आवेदक का चयन होता जायेगा उस वर्ग विशेष हेतु नियमानुसार आरक्षित पार्लरों की संख्या आगामी चयन हेतु उपलब्ध कुल पार्लरों की संख्या में से कम होती जायेगी।
14. यदि एक दो या बहुत ही कम संख्या में पार्लरों/बूथ के आवेदन हेतु प्रक्रिया की जाती है तो पूर्व में आवंटित बूथ/पार्लर की वर्गवार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्ग विशेष हेतु उपलब्धता निर्धारित की जायेगी।
15. प्रत्येक वर्ग के हेतु कुल आरक्षण पार्लर/बूथ में से उसी वर्ग की महिला एवं पुरुषों हेतु क्रमशः 30 या 70 प्रतिशत पार्लर/बूथ आरक्षित होंगे। प्रत्येक लिंग (महिला या पुरुष) हेतु कुल आरक्षित पार्लरों में से 06 प्रतिशत पार्लर/बूथ/रेल्वे पार्लर निःशक्त—जन हेतु आरक्षित होंगे जिनमें से 2 प्रतिशत अस्थिबाधित, 2 प्रतिशत दृष्टिबाधित एवं 2 प्रतिशत स्वर्णबाधित निःशक्त—जनों हेतु आरक्षित होंगे।
16. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात कर भविष्य के लिए काली सूची में दर्ज किया जाएगा।
17. वर्तमान में जिस व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध दुग्ध संघ का कोई भी न्यायीक प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, ऐसे व्यक्ति/फर्म आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
18. प्राप्त आवेदनों में यदि कोई ऐसे आवेदक का आवेदन प्राप्त होता है, जिसका दुग्ध संघ में रिकॉर्ड खराब हो अथवा पूर्व में दुग्ध संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
19. एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो। इस बाबत आवेदनकर्ता को स्वयं का सत्यापित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न है)
20. दुग्ध संघ के अध्यक्ष, संचालकगण, अधिकारी/कर्मचारी (वर्तमान में कार्यरत) सुपरस्टॉकिस्ट/ वितरक—सह—परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता एवं वितरक स्वयं अथवा उनके परिवार के सदस्य पार्लर/बूथ आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बाबत का वचन पत्र, Self Declaration संलग्न करें।(प्रारूप संलग्न है)
21. आवेदक को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत प्रतिभूति राशि रुपये 50,000/- (अक्षरी पचास हजार रुपये मात्र) या दुग्ध संघ के निर्णय अनुसार राशि आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगी, प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

22. आवेदक के पास दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित भंडारण हेतु एवं उचित प्रशीतन हेतु विक्रय की क्षमता अनुसार डीप-फ्रीज (क्षमता 500 लीटर) होना आवश्यक होगा।
23. पॉर्लर संचालक को साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी की प्रदायगी संबंधित साँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी वितरकों के माध्यम से होगी। पॉर्लर संचालक को अपनी मांग कम से कम एक दिवस पूर्व वितरक को लिखित में देना होगी।
24. पॉर्लर संचालक को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रुपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही पॉर्लर संचालक को तीन वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर दोनों पक्षों के सहमत होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार वृद्धि की जा सकेगी।
25. पॉर्लर संचालक को आवंटित कार्यक्षेत्र में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना आवश्यक होगा।
26. पॉर्लर संचालक को जो भी विक्रय लक्ष्य दिये जाते हैं उनको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
27. दो जमानतदार की जमानत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। (निर्धारित प्रारूप संलग्न है।)
28. प्रतिभूति जमा होने पर औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद आवेदक को एक पॉर्लर गुमटी दुग्ध संयंत्र उज्जैन से निर्धारित स्थल तक स्वयं के व्यय से ले जाना होगा। इसे आवंटी स्थल तक ले जाने एवं स्थापित कराने की पूर्ण कार्यवाही/व्यय आवंटी को करना होगा। पॉर्लर छोड़ने की दशा में पॉर्लर गुमटी जैसे दी गई थी, वैसी स्थिति में डेरी संयंत्र, उज्जैन में पहुंचाकर सुपुर्दगी देना होगी। तब ही अमानत राशि वापसी की जावेगी।
29. पॉर्लर आवंटन पश्चात पॉर्लर संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अन्तर्गत (FSSAI) रजिस्ट्रेशन/लायसेन्स की छायाप्रति दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
30. पॉर्लर आवंटन पश्चात पॉर्लर संचालक को गुमास्ता बनवाकर छायाप्रति दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगी।
31. पॉर्लर गुमटी आवेदक को सुपुर्दगी के पश्चात प्रथम दिन से ही उसकी पूर्ण सुरक्षा एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी आवंटी की होगी। नगर पालिका/संबंधित निकाय द्वारा निर्धारित मासिक किराया अग्रिम रूप से आवंटी को सीधे नगर पालिका/संबंधित निकाय में जमा कर जमा रसीद की छायाप्रति दुग्ध संघ में जमा कराना होगा।
32. आवंटी को अपने स्वयं के नाम से स्वयं के व्यय पर विद्युत समायोजन कराना होगा, इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा अनुशंसा स्वरूप अनापत्ति पत्र दिया जावेगा। विद्युत उपभोग का मासिक देयक नियत समय पर जमा कराने की जिम्मेदारी पॉर्लर एजेन्ट की रहेगी।

33. दुग्ध संघ द्वारा आवंटित गुमठी को आवंटी न तो किसी को हस्तांतरित, दान, विक्रय, या किराये पर देना नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो तत्काल पॉर्लर आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी।
34. यदि आवंटी द्वारा पॉर्लर छोड़ा जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा अमानत राशि में से उस पर किसी भी मद में (यथा निकाय किराया, विद्युत बिल आदि।) बकाया राशि काटकर शेष राशि भुगतान की जावेगी।
35. पॉर्लर/बूथ आवंटन उपरांत पॉर्लर एजेन्ट की मृत्यू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य का आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों का निर्वहन करने के लिए एजेन्ट को विधि अनुसार उत्तराधिकारी नामित करना होगा। यदि वह उत्तराधिकारी दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है तो एजेन्ट को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे संबंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटर्राईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
36. अनुबंधित साँची मिल्क पॉर्लर/बूथ एजेन्ट की मृत्यू होने पर आश्रित एक सदस्य को वही पॉर्लर/बूथ संचालन हेतु नवीन नीति –2021 के तहत आवंटित किया जा सकेगा।

मेरे द्वारा साँची मिल्क पॉर्लर हेतु आवेदन की समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 36 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

शुद्धता का संकल्प

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड उज्जैन (म.प्र.)

साँची पार्लर/बूथ हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

स्वयं का
प्रमाणित फोटो
चिपकाएँ

1. अ)नाम
- ब)पिता/पति का नाम
2. वर्ग:(आवेदक कृपया अपने वर्ग के सम्मुख अंकित बॉक्स में सही का निशान लगाएं)
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति
पिछडा वर्ग सामान्य वर्ग
3. पार्लर हेतु प्रस्तावित स्थान
4. शैक्षणिक योग्यता:
(न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकंडरी पास)
5. पता:
अ)स्थाई पता(आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
(दूरभाष/मोबाईल नम्बर के साथ)
ब)पत्र व्यवहार का पता:
(दूरभाष/मोबाईल नम्बर के साथ)
6. वर्तमान व्यवसाय/कार्य:
– व्यवसाय पिता का या स्वयं का
- व्यवसाय स्थान का पता (दूरभाषा नम्बर)
7. आवेदित स्थान का पता:
8. वित्तीय स्थिति:
– वर्तमान व्यवसाय की लागत
– वर्तमान व्यवसाय की आय
– चल/अचल संपत्ति का विवरण
– मिल्क पार्लर व्यवसाय हेतु लगाई जाने वाली पुँजी
9. दुध/दुग्ध पदार्थ का कोई अनुभव(हाँ/नही)
- (दस्तावेज संलग्न करें)

10. किसी तरह का अपराधिक/न्यायलीन प्रकरण (हाँ/नहीं)
11. जमानतदार (1) का नामकार्य.....मासिक आय.....
पता
12. जमानतदार (2) का नामकार्य.....मासिक आय.....
पता
- (एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना चाहिये)

मिल्क पार्लर से संबंधित समस्त शर्तें पढ ओर समझ चुका/चुकी हूँ। और मान्य करती हूँ। अतः मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी पूर्णत सत्य है।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

.....

दूरभाष नम्बर

मोबाईल नम्बर



अनुबंध पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन (जिन्हे आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमती/कुँ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....आयु.....वर्ष निवास.....(जिन्हे आगे द्वितीय नाम से सम्बोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया है :-

- 1.अ. यह की प्रथम पक्ष द्वारा साँची दुध घी एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधित व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर डिपो/साँची पार्लरों से दुध एवं दूग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत किया जाता है ।
- ब. यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है । तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा , किंतु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवसाय किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा।
- स. यह कि अनुबंध नियुक्ति तिथिसे तीसरे वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष.....की दिनांक 31.03..... तक की अवधि के लिये प्रभावशाली माना जायेगा। अर्थात इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्त तिथि से वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक होगी।
उसके बाद पुनः अनुबंध नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। यदि द्वितीय पक्ष डिपो/साँची पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे इसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा, अन्यथा डिपो/ साँची पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।
- द. यह कि पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस अनुबंध समाप्त कर देगा।
- इ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में डिपो/साँची पार्लर का कब्जा अधिकृत व्यक्ति/अधिकार को देना होगा। ऐसा न करने पर पक्ष को अधिकार होगा कि वह डिपो /साँची पार्लर का कब्जा कर लें जिसमें द्वितीय पक्ष में को आपत्ती करने का अधिकार न हो।
- ई. यह कि यदि दोनो पक्षों में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो यह विवाद आरबीट्रेशन हेतु अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ अथवा उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनो पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आरबीट्रेशन की कार्यवाही आरबीट्रेशन एंड कांसीलिवेशन एक्ट 1996 के अंतर्गत संपादित होगी।
- उ. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों के संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकारी सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।
- उ. समस्त विवादों के निपटारों के लिये न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन ही होगा।

- 2.अ. यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति के वक्त एम.आर. नम्बर.....दिनांक
रु...../— बतौर प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करा दिये गये हैं, जिस पर
कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- ब. यह कि भविष्य में जमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे
जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
- स. यह कि अमानत राशि में डिपो/साँची पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की
राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
- उ. यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो संभ्रांत व्यक्तियों की रु. 25000/— प्रत्येक की
जमानत राशि देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरारनामे के
जमानतदारों पर बंधनकारक होंगे।
- इ. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सिक्युरिटी वापसी के आवेदन करने पर प्रथम 6 माह पॉर्लर
चलाने के पश्चात ही सिक्युरिटी वापस की जाएगी।
- ई. द्वितीय पक्ष को एफएसएसएआई का नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा
अन्य समस्त वैधानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशाली है तथा भविष्य में
प्रभावशाली होंगे। अपने व्यय से बनवाकर अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध
कराने होंगे।
- 3.अ. द्वितीय पक्ष को आवंटित इस डिपो/साँची पार्लर को नीचे दर्शाई गई समयावधि में
खुला रखना होगा।

समय	से	समय
प्रातः 6:00 बजे		दोपहर 12:00 बजे
सायं 4:00 बजे		दोपहर 08:00 बजे

- ब. यह की द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थों
की विक्रय मूल्य तालिका एवं डिपो/साँची पार्लर खुलने व बंद होने की समय
तालिका डिपो/साँची पार्लर पर लगाना आवश्यक होगा तथा तदानुसार ही
डिपो/साँची पार्लर खोलना होगा।
- स. उपभोक्ता यदि दूध घर पहुँच सेवा चाहता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुँच सेवा के
लिये बाध्य होगा। घर पहुँच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आवंटन
निरस्त करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।
- द. एजेंट को दोनो समय सुबह-शाम दुध का विक्रय करना अनिवार्य होगा।
- 4.अ. यह कि मिल्क डिपो/साँची पार्लर प्रथम पक्ष की सम्पत्ति है, जो कि नगर निगम/.....
.... की भूमि पर निर्मित हैं। द्वितीय पक्ष को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को
डिपो/साँची पार्लर या भूमि के हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- ब. यह कि नगर निगम/अन्य निकाय से पार्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थों का
विक्रय लायसेंस द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।
- स. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन आवश्यक होगा।
नाप-तोल विभाग, नगर-निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये
गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
- द. यह की पार्लर में फ्रिज/डिप-फ्रीजर की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर
करनी होगी।

- इ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थों के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर पर विक्रय नहीं किया सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों के समांतर हो या उसके प्रतिबंधित हो।
- ई. यह कि पार्लर पर हाने वाले व्यय जैसे भूमि किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रख-रखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।
- उ. यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देगें एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गरहित रखेंगे।
- 5.अ. प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई साँची दूध घी एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक के निर्धारित बैंक में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा।
- ब. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिये स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेनदेन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी वह किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
- स. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दरों पर ही माल विक्रय करना होगा इससे अधिक दर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष की एजेंसी तुरंत समाप्त की जा सकेगी।
- द. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाए गए एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गयी अग्रिम राशि का पूर्ण रूपसे दुग्ध संघ के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गयी हेराफेरी गंभीर धोखाधडी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानून कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।
- इ. पार्लर डिपो/एजेंट द्वारा दूध विक्रय अग्रिम कार्ड, पार्लर किराया अथवा अन्य कोई भी राशि नकदी के रूप में दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नकद राशि जमा करना अति-आवश्यक है तो स्वयं दुग्ध संघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावे।
6. यह कि प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बाटल की सील, गुणवत्ता एवं मात्रा आदि की जाँच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
7. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल कि मांग की जाने पर सील लगी ईकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेगें इस संबंध में तुरन्त प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई ईकाई या खुला पदार्थ दिया है तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।

8. यह की पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो सामान,फर्नीचर, एवं फिक्सचर्स उपलब्ध कराए है, एवं भविष्य में उपलब्ध कराए जायेंगे। एवं क्रेन ,क्रेटस बाटल प्रदाय किये जायेंगे।किसी भी कारण उसकी टूट फूट नुकसानी होने पर प्रचलित बाजार मुल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगी।
9. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दुध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेटस, बाटल का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगी। एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
10. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा। एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाए जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंगे।
11. यह कि प्रथम द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय समय पर बनाए जायेंगे द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय समय पर दिये पार्लर के समय एवं दुग्ध पदार्थ के माह कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी रहेगा।
13. यह कि इस अनुबंध की शर्त व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।
14. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिये गये विभिन्न विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा लक्ष्यो को प्राप्त नही कर सकने पर प्रथम पक्ष आवंटित निरस्ती या अन्य को आवंटन आदि की कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में बिना सूचना एजेंटशिप प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
15. यह कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (प्रथम पक्ष) द्वारा द्वितीय पक्षकार के नाम से आवंटित डिपो/ साँची पार्लर बूथ में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी दुग्ध पदार्थ के उत्पादनकर्ता के मालका विक्रय नही किया जावेगा और ना ही बीडी, गुटका ,पान तंबाकु मदिरा आदि अथवा अन्य काई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय किया जायेगा। इस का उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर आवंटित कि गई उक्त डिपो /साँची पार्लर को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा।
16. यह अनुबंध दोनो पक्षों के अधिकृत वारिसो पर ही लागू होगा। इसके लिये द्वितीय पक्ष द्वारा विधि अनुसार श्री/श्रीमति/कु..... को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।
17. आवेदन की प्रक्रिया, समस्त शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जारी पत्र/परिपत्र भी इस अनुबंध का भाग माने जाकर एजेन्ट पर बंधनकारी होंगे।

18. टंकण त्रुटि के कारण अनुबंध की शर्तों की अस्पष्टता अर्थात शर्तों को स्पष्ट करने, शर्तों को हटाने एवं जोड़ने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का होगा।
19. पॉर्लर/बूथ आवंटन उपरांत पॉर्लर एजेन्ट की मृत्यू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य का आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों का निर्वहन करने के लिए एजेन्ट को विधि अनुसार उत्तराधिकारी नामित करना होगा। यदि वह उत्तराधिकारी दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है तो एजेन्ट को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे संबंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. अनुबंधित साँची मिलक पॉर्लर/बूथ एजेन्ट की मृत्यू होने पर आश्रित एक सदस्य को वही पॉर्लर/बूथ संचालन हेतु नवीन नीति -2021 के तहत आवंटित किया जा सकेगा।
उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों में पढकर समझ ली है एवं पूर्ण होशो हवास में बिना किसी दवाब के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई है।

दिनांक.....

गवाह:-

1.हस्ताक्षर :

नाम.....

पता.....

हस्ताक्षर

1. प्रथम पक्षकार

2.हस्ताक्षर :

नाम.....

पता.....

हस्ताक्षर

2. द्वितीय पक्षकार

शुद्धता का संकल्प

जमानतदार

(रूपये 100 के नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प पर)

मैं जमानतदार सर्व.....आत्मजा श्री.....आयु.....में है कि कार्यालयप्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष.....पुत्र श्री.....आयु.....निवासी..... के बीच आज दिनांक.....को पालर / बूथ अनुबंध लिखा गया है इस के तहत यदि किसी अनुबंध को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रू. 25000 (रू पच्चीस हजार) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी। अगर नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं, जमानतदार स्वयं प्रथम को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल सम्पति से वसूल करने के अधिकार रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष द्वारा लिखे पालर / बूथ अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाह

जमानतदार :

हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर :

नाम:.....

नाम:.....

पता:.....

पता:.....

मोबाईल:.....

मोबाईल:.....

शुद्धता का संकल्प

शपथ पत्र

(रूपये 100 के नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प पर)

मैं..... आत्मजा श्री.....आयु निवास
शपथपूर्वक यह कथन करता / करती हूँ कि :-

1. मैंने आज दिनांकको अनुबंध करारदुग्ध संघ सहकारी मर्यादितसे दूध एवं दुग्ध पदार्थ साँची डिपो / साँची पार्लर के माध्यम से विक्रय करने हेतु किया गया है जो कि सेवा शर्ते मुझे मान्य है।
2. यह कि शपथ पत्र मैं प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ, तथा यह शपथ-पत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य व सही है सत्यापन आज दिनांककोमें किया गया।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी/(वर्तमान में कार्यरत) सुपर स्टॉकिस्ट
/वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता से कोई संबंध नहीं होने का
स्वयं द्वारा सत्यापित वचन पत्र का प्रारूप
(कॉम्प्यूटराईज्ड टंकित सामान्य पेपर पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा जिला क्षेत्र पॉर्लर स्थान
में साँची मिल्क पॉर्लर एजेन्ट की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं,
जिसमें मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन
करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी/ (वर्तमान में
कार्यरत) सुपर स्टॉकिस्ट /वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता से मेरी कोई
रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर

शुद्धता का संकल्प
सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त स्व-प्रमाणित पत्र में
वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया
नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी

स्वयं द्वारा सत्यापित वचन पत्र का प्रारूप
(कॉम्प्यूटराईज्ड टंकित सामान्य पेपर पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा जिला क्षेत्र पॉर्लर स्थान
..... में की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत
किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि एमपीसीडीएफ
भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता
के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त स्व-प्रमाणित पत्र में वर्णित संपूर्ण
कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर